न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 04 / 2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 7

परमेश्वरी देवी बनाम विद्या देवी आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राज.काश्त.अधि., 1955

उपस्थिति :–

1. श्री नवीन मिडढ़ा, अधिवक्ता प्रार्थी(प्रतिवादी सं. 1)
2. श्री हितेन्द्र नारायण सारस्वत, अप्रार्थी(वादी)

–:: आदेश प्रार्थना पत्र ::–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित आदेश 23 नियम 1(4) व आदेश 23 नियम 3ए एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

दिनांक : 28.03.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि –

1. प्रतिवादी सं. 1 जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया परमेश्वरी देवी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इन अभिवचनो के तहत प्रस्तुत किया हैं कि, "वादी के नाम से चक 3 बी. जी.एम. के पत्थर नम्बर 135 / 377(37) में 6.070 हैक्टर कमाण्ड व पत्थर नम्बर 136 / 377(37) में 6.325 हैक्टर कमाण्ड / अनकमाण्ड मय खाला कुल 12.395 हैक्टर कमाण्ड / अनकमाण्ड मय खाला गैर खातेदार जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड हिस्से मुताबिक दर्ज है। वादी के पिता सुखराम की मृत्यु के पश्चात् वादी का 1 / 8 हिस्सा मुताबिक विरारतन जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। जिसे आज से दो वर्ष पूर्व अपनी कृषि भूमि काश्त करने के लिऐ प्रतिवादी संख्या 1 को सुपुर्द कर दी। वादीया के द्वारा अपने हस्तगत वाद पत्र में प्रतिवादिया संख्या 1 को प्रश्नगत भूमि पर अतिकमी घोषित करवाकर उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अनुतोष अधियाचित किया है। वादीया द्वारा हस्तगत वाद पत्र माननीय न्यायालय में स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत नही किया गया है बल्कि तथ्यो को जानबुझकर छिपाकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। वास्तविकता यह कि वादीया के द्वारा प्रश्नगत भूमि में विरास्तन प्राप्त अपने 1 / 8 हिस्सा की भूमि का हक त्याग पंजीकृत दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 22.06.2012 के जरिए अपनी बहिन प्रतिवादिया संख्या 1 श्रीमति विद्यादेवी के पक्ष में त्याग दिया था और दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 22.06.2012 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में रोबरू गवाहान के निष्पादित सामान दिनांक को ही उपपंजीयक श्री विजयनगर के समक्ष प्रस्तुत कर पंजीकृत करवा दी थी और कब्जा भूमि प्रतिवादिया संख्या 1 को सौप दिया था। इस प्रकार वादीया के हक वा अधिकार दस्तावेज दस्तबरदारी दिंनाक 22.06.2012 के पंजीयन के उपरान्त प्रश्नगत भूमि में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके थे। इसी पंजीकृत दस्तावेज दस्तावेज दस्तबरदारी दिनाक 22.06.2012 के जरिए प्राप्त हक वा अधिकार के तहत ही प्रतिवादिया वर्ष 2012 से ही निरन्तर आज रोज तक शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चली आ रही है। वादीया के द्वारा उपरोक्त दस्तावेज दस्तबरदारी दिंनाक 22.06.2012 को प्रभावशून्य घोषित करवाने बाबत सिविल न्यायालय श्री विजयनगर में एक सिविल वाद अनवानी परमेश्वरी देवी बनाम् विधा देवी, सिविल वाद संख्या 17 / 2012 प्रस्तुत किया था जिसे राजीनामा हो जाने के कारण वादीया के द्वारा आगे इस सिविल प्रकरण में कोई कार्यवाही ना कर सिविल न्यायालय श्री विजयनगर से दिंनाक 12.09.2012 को खारिज करवा लिया गया था और वादीया के द्वारा अपना राजीनामा के आधार पर खारिज करवा लिया गया था और वादीया के द्वारा अपना उक्त अनवानी सिविल [illegible] अपना अधिकार सुरक्षित रखे न्यायालय से वीड्रा किया गया था इसलिऐ सिविल वाद प्रश्न[illegible] पंजीकृत दस्तावेज की वैधता [illegible] चुका है और अब दस्तावेज के सम्बन्ध में पूर्व में [illegible] कोई अधिकार अब वादीया [illegible]दारी दिंनाक 22.06.2012 [illegible] 23 नियम 1 (4) व आ[illegible] के शेष नहीं रहें है इसलिए [illegible] नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता के विधिक [illegible]धानो से भी पूर्णतय हिट [illegible] कारण के कारण निरस्त होने के योग्य है। [illegible]दीया सक्षम सिविल न्यायालय से प्रतिवादिया के पक्ष में हुऐ पंजीकृत दस्तावेज दस्तबरदारी दिंनाक 22.06.2012 को प्रभावशून्य घोषित करवाये बिना हस्तगत वाद धारा 183 राजस्थान काश्तकारी

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:27:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अधिनियम का प्रतिवादिया संख्या 1 के विरूद्ध प्रस्तुत करने की कतई विधिक अधिकारनी नहीं है चूंकि वादीया का सिविल न्यायालय से सिविल वाद पूर्व में ही खारिज हो चुका हैं ऐसी स्थिति में वादीया को प्रतिवादिया मुजीब के विरूद्ध हस्तगत वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण प्राप्त नही है। हस्तगत वाद पत्र वाद कारण के अभाव में आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत चलने योग्य नही है। सिविल प्रक्रिया संहिता विधि का सुःस्थापित सिद्धान्त है कि वाद कारण प्राप्त ना होने एंव वाद के विधिक प्रावधानो से बाधित होने की स्थिति में बिना आयन्दा विचारण वाद को किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओ पर वाद विधि बाधित होने के फलस्वरूप एंव वाद हेतूक के अभाव में आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो के अन्तर्गत बिना आयन्दा विचारण इसी स्तर पर निरस्त किये जाने के योग्य है। विधि के आज्ञापक प्रावधान एंव आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान इस सम्बन्ध में स्पष्ट है कि बिना अधिकारिता के न्यायालय में बोगस क्लेम पर आधारित वादो को प्रथम स्तर पर ही दबा देना न्यायालय का कर्तव्य है जिससे कि अनावश्यक न्यायालयो का समय नष्ट ना हो अथवा वादी किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है अथवा प्रथम दृष्टया विचारण हेतू कोई आधार नहीं बनता है तो ऐसे वादो को बिना प्रतिवादी को तलब किये अथवा प्रतिवादी के तलब होकर आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय का सर्वप्रथम दायित्व ऐसे तुच्छ वादो को बिना आयन्दा विचारण किये प्रारम्भिक अवस्था में ही विधिसम्मत आदेश के अधीन दबा दिये जाने का अर्थात निरस्त कर देने का है। मौजूदा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य कानूनी है। जिनका सर्वप्रथम निस्तारण किया जाना है इस हेतु कानूनन किसी भी प्रकार से जवाब दावा अथवा साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके निस्तारण के उपरान्त ही वाद के गुणावगुण के सम्बन्ध में आयन्दा विचारण किया जा सकता है। प्रार्थी/प्रतिवादी इस विधिक अधिकार के अधीन अपने विस्तृत तथ्यो के आधार पर जवाबदावा प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए निम्न मौजूदा आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थना पत्र विधिक बिन्दुओ पर एंव सद्भावी तथ्यों पर प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे निर्णित करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। प्रार्थीया/प्रतिवादीया संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 23 नियम 1 (4) व आदेश 23 नियम 3 (ए) एव धारा 151 जाब्ता दिवानी स्वीकार फरमाया जाकर उक्त अनवानी वाद पत्र, वाद कारण के अभाव में एंव सिविल प्रक्रिया संहिता प्रावधानो से बाधित होने के फलस्वरूप इसी स्तर पर बिना आयन्दा विचारण सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

2. वादीया जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया परमेश्वरी देवी का वक 3 बी.जी.एम. के प.नं. 135/377 (37) में 6.070 है. कमाण्ड व प.नं. 136/377(37) मे 6.325 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला कुल 12.395 है. गैर खातेदार कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे 1/8 हिस्सा मुताबिक विरासतन जमाबंदी राजम्य रिकार्ड मे पिता सुखराम की मृत्यू पश्चात दर्ज हुआ था। वादीया गांव संगीता (सूरतगढ़) में निवास करती हैं तो सहहिस्सेदार बहन विद्यादेवी को भूमि काश्त हेतु सुपुर्द की थी। जब सहहिस्सेदार बहन विद्यादेवी ने फसल का हिसाब सही ढंग से नहीं दिया तो वादीया ने भूमि खाली करने को कहा तो उत्तेजित होकर भूमि खाली नही करने की धमकी देने लग गई और कहने लगी आप तो भोली बहरी हो। प्रतिवादी सं० 1 विद्यादेवी द्वारा कहा गया कि आपसे कुछ कागजों पर हमारे हस्ताक्षर भी करवाये गए है। आपकी भूमि को हम अपने नाम से शीघ्र ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लेगी। इसलिये वादी[illegible] में वांद पत्र प्रस्तुत करना पड़ा। प्रतिवादीगण/प्रार्थीया के पक्ष में [illegible] भूमि का हक त्याग पंजीकृत दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 22.06.2012 [illegible] परमेश्वरी द्वारा किया गया जो कि प्रतिवादीगण [illegible] को धोखे में रखकर खाली कागजों पर अंगुठा निशानी करवा लिये थें। जिसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिवादीगण सं० 1 विद्यादेवी द्वारा धमकी [illegible] गई थी कि तुम्हारे हिस्से की भूमि इन्तकाल मेरे नाम से दर्ज करवा लूंगी। गैर खातेदारी कृषि भूमि का बेचान इकरारनामा दस्तबरदारी नहीं की जा सकती। कानून की दृष्टि से गैर खातेदारी भूमि का हकत्याग दस्तबरदारी शून्य मानी जाती है। जब तक भू-स्वामी को खातेदार अधिकार प्राप्त नही होते तब तक वो भूमि गैर खातेदार की श्रेणी में मानी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:27:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

भू–आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर ही राजस्व रिकार्ड मे खातेदार घोषित होता है। दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 22. 06.2012 को प्रभाव शून्य घोषित करवाने बावत सिविल न्यायालय श्रीविजयनगर में सिविल वाद अनवानी परमेश्वरी बनाम विद्यादेवी प्रस्तुत किया जाना स्वीकार्य है। प्रतिवादीगण सं० 1 विद्यादेवी द्वारा कपटपूर्वक तरिके से दस्तबरदारी दस्तावेज तैयार करने की सामाजिक रूप से वादीया परमेश्वरी देवी से माफी मांग लेने पर सिविल प्रकरण को विड्रा करने तक का राजीनामा हुआ था ना कि दस्तबरदारी कायम रखने हेतु वादीया परमेश्वरी का प्रस्तुत सिविल वाद खारिज नही माना जा सकता क्योंकि सिविल वाद विड्रा (आहरित) करने से फैसलशुगार होकर दाखिल दफ्तर हुआ था। यह कि राजीनामा के आधार पर दस्तबरदारी को शून्य घोषित वाद को विड्रा (आहरित) करने से वादीया परमेश्वरी देवी का वादग्रस्त भूमि के 1/8 हिस्से से अधिकार निष्प्रभावी नही हो गया वादीया परमेश्वरी देवी का वाद गैर खातेदारी भूमि का अर्थ जिन लोगो के पास खेती के लिये जमीन नहीं होती है उन्हें सरकार जमीन आवंटित करती है जब तक उन्हे खातेदार अधिकार हासिल नहीं हो जाते तब तक वे कृषक ना तो जमीन को बेच सकते है ना ही किसी को ट्रांसफर कर सकते है। वादीया अपने 1/8 हिस्से की कृषि भूमि को अतिक्रमी से मुक्त करवाने की अधिकारीणी है। वादीया को राजस्व नियमों/कानून के तहत अधिकार संरक्षित हैं यह कि आदेश 23 नियम 1 (4) व आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. के विधिक प्रावधान उक्त प्रकरण मे लागू नही होते है। वादीया परमेश्वरी देवी द्वारा वाद धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रतिवादी सं० 1 विद्यादेवी के विरूद्ध प्रस्तुत करने का विधिक रूप से अधिकारीणी है। यह कि वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने के कारण सुनवाई व चलने योग्य है। क्योंकि वर्तमान मे वादीया परमेश्वरी देवी के नाम कृषि भूमि 1/8 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज है। जो कि वादीया को अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, धारा 23 नियम 1(4) व आदेश 23 नियम 3(ए) एंव धारा 151 सी.पी.सी. को खारिज फरमाया जावें।

3. प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीया क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आई है, सिविल कोर्ट में विचाराधीन दस्तबरदारी कैंसिल करवाने का प्रकरण वादीया द्वारा पूर्व में विड्रा कर लिया है। दस्तबरदारी पंजीबद्ध दस्तावेज है। प्रतिवादी अतिक्रमी नहीं होकर पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर काबिज है। वादीया को प्रतिवादी के विरुद्ध दावा लाने का वादकारण प्राप्त नहीं है। दस्तबरदारी में कब्जा सौंपना स्वीकार किया है, तथ्य छुपाकर वाद पेश किया है। वाद इसी स्तर पर खारिज करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की ओर कथन किया कि भूमि गैर खातेदारी है जिसका ईकरारनामा व दस्तबरदारी नहीं हो सकती है, जो कि प्रारम्भ से ही शून्य है, राजस्व रिकार्ड अनुसार 1/8 हिस्सा भूमि वादीया के नाम से है जिस पर से वादीया प्रतिवादी को अतिक्रमी घोषित करवा बेदखल करवाने की विधिक अधिकारी है। सिविल न्यायालय में राजीनामा आधार पर मात्र वाद विड्रा किया गया था ना ही दस्तबरदारी के संबंध में अपनी सहमति दी है। प्रार्थना पत्र निराधार होने के कारण खारिज करने के लिए निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी न्यायिक दृष्टांत मा. उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा सिविल रिवीजन सं. 1834/2013 गुलजारी बनाम जिले सिंह निर्णय दिनांक 10.09.2013 की प्रति पेश की।

4. उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रतिवादी सं. [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत वाद प्रस्तुत कर वादी के नाम से [illegible] विवादित भूमि पर प्रतिवादी को अतिक्रमी घोषित क[illegible] जाने का अनुतोष चाहा है। वादी द्वारा अपने वाद [illegible] छायाप्रति जमाबंदी का अवलोकन करने पर पा[illegible] से आरजी काश्तकार 1955 से पूर्व के रूप में दर्ज है। भूमि[illegible] खातेदार दर्ज नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के [illegible] छायाप्रति दस्तावेज दस्तबरदारी परमेश्वरी बहक विद्या देवी पेश किया है जो कि उप पंजीयक श्रीविजयनगर से पंजीबद्ध है जिसके द्वारा वादीया ने अपने हिस्से की भूमि का त्याग प्रतिवादी के पक्ष में किया है, तथा वादीया द्वारा उक्त दस्तबरदारी को शून्य घोषित करवाने हेतु मा.

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:27:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

सिविल न्यायधीश श्रीविजयनगर के न्यायालय में प्रस्तुत वाद वादीया की प्रार्थना पर प्रकरण में राजीनामा हो जाने व आगे कार्यवाही नहीं चाहने के आधार पर खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में दस्तावेज दस्तबरदारी अस्तित्व में है, अतः प्रतिवादी को भूमि पर अतिक्रमी नहीं माना जा सकता है क्योंकि वह पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर भूमि पर काबिज है। अतः प्रमाणित है कि वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद लाने का वाद कारण हासिल नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद खारिज योग्य है।

5. अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं. 1 का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित आदेश 23 नियम 1(4) व आदेश 23 नियम 3ए एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर वाद पत्र वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 28.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:27:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner